

# GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE DATIA, M.P.

## Notice for NEET PG (All India Quota/MP Quota students) - 2023

- All students must report office of the counseling in scheduled time frame.
- Students are requested do not to wait for last days.
- Students are instructed to come with following original documents and 02 set of Photocopy of each. –
  1. ONLINE NEET REGISTRATION FORM
  2. ORIGINAL ADMIT CARD - NEET 2023
  3. NEET 2023 RESULT
  4. PROVISIONAL SEAT ALLOTMENT LETTER
  5. 10<sup>TH</sup> MARK SHEET .
  6. 12<sup>TH</sup> Mark Sheet.
  7. MBBS Passing Certificate Degree Copy
  8. MBBS Registration Copy
  9. Internship Completion Certificate
  10. MIGRATION CERTIFICATE
  11. MBBS All Marksheets.
  12. CASTE CERTIFICATE, AS PER APPLICABLE ( ST/SC/OBC in format mentioned in NEET PG 2023 Information Bulletin)
  13. Domicile Certificate for MP Quota.
  14. For In Service Candidate – Sponshership Certificate/NOC Issued by Compitent Authority
  15. INCOME CERTIFICATE OF CURRENT FINANCIAL YEAR (If Applicable)
  16. GAP CERTIFICATE (IF APPLICABLE)
  17. 20 PASS PORT SIZED PHOTOGRAPHS,1 POSTCARD 4"X6" SIZED PHOTOGRAPH
  18. 10 ENVELOPES WITH POSTAL ADDRESS WRITTEN ON IT & TICKETS RS. 05 PASTED
  19. ID PROF (AADHAR CARD)
  20. FIRST PAGE OF BANK PASSBOOK (PHOTO COPY) OF CANDIDATES, IF NOT AVAILABLE THEN PARENTS PASS BOOK ATTESTEDPHOTO COPY.
  21. DEMAND DRAFT OF RUPEES 1,26,000 (in words rupees one lakh Twenty Six thousand only ) IN FAVOUR OF "GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AUTONOMOUS SOCIETY DATIA," Payable at DATIA for All India Candidate only for MP Quota Candidate online fee will be applicable .
  22. AFFIDAVIT (for Upgradation Opting Candidates)
    - (I) AFFIDAVIT ON RS. 500/- STAMP PAPER FOR SEAT LEAVING BOND OF RS 30 LAKH, RURAL SERVICE 01 year BOND OF RS 10 LAKH for Non Service category & Rs. 50 Lakh - 05 year Bond for InService Candidate (Proforma Attached).
    - (II) AFFIDAVIT ON Rs. 50/- STAMP PAPER FOR GAP(if applicable)
    - (III) PROFORMA Number 06 & 07 In Rs. 100 Stamp Paper IS MANDATORY
    - (IV) ALL PROFORMA ARE ABAILABLE IN GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE DATIA WEBSITE
  23. AFFIDAVIT (FOR FINAL ADMISSION if candidate is not willing to re allocate/Upgrade or to participate and 2<sup>nd</sup> Round AI Quota)
    - (I) AFFIDAVIT ON RS. 15000 (0.5% OF 10 LAKH) STAMP PAPER FOR SEAT LEAVING BOND OF RS 30 LAKH FOR ALL CATEGORY.
    - (II) AFFIDAVIT ON RS. 5000 (0.5% OF 10 LAKH) STAMP PAPER FOR RURAL SERVICE BOND OF RS 10 LAKH FOR for Non Service category
    - (III) AFFIDAVIT ON RS. 25000 (0.5% OF 5 LAKH) STAMP PAPER FOR RURAL SERVICE BOND OF RS 50 LAKH FOR In Service Candidate.
    - (IV) PROFORMA Number 06 & 07 In Rs. 100 Stamp Paper IS MANDATORY
    - (V) ALL PROFORMA ARE ABAILABLE IN GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE DATIA WEBSITE

(Note -: STAMP PAPER AMOUNT SHOULD BE PAID ONLY FOR M.P. GOVERNMENT, OTHER STATE STAMP PAPERS WILL BE NOT BE ACCEPTED) For any query Contact Person

**Dr. Harsh Kumar Chawre, Nodal Officer, NEET PG Counseling 2023 GMC, Datia, Mobile - 8319186189**

**Note:** Student must retain soft copy of all originals documents with them before submission of documents for further necessities.

Order By

Dean  
Govt. Medical College  
Datia (MP)

**प्रारूप-1**

**प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा  
(चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु)**

**भाग-अ (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)**

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश चिकित्सा /दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022 तथा संशोधन नियम 10 मई 2023 को भलीभांति पढ़ तथा समझ लिया है। मुझे म0प्र0 राज्य के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम की जानकारी है। तत्पश्चात ही नियमों एवं दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसिलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

**मैं आवंटन के अनुक्रम में प्रवेश हेतु मूल प्रमाणपत्र/ अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।**

- 1/ **NEET PG (MD/MS) 2023/NEET (MDS) 2023** परीक्षा का रोल नंबर .....
  - 2/ आल इण्डिया मेरिट सूची क्रमांक .....
  - 3/ पूरा नाम: .....
  - 4/ माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता .....
  - 5/ श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/.....  
अन्य पिछड़ा वर्ग,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) ।
  - 6/ प्रवर्ग- दिव्यांग : .....
  - 7- कोटा- ओपन/अनिवासी भारतीय कोटा (NRI)/सेवारत
  - 8/ अभ्यर्थी का मोबाईल फोन नं. एवं ई-मेल आई.डी. ....
  - 9/ अभ्यर्थी का बैंक खाता नं..... आई.एफ.एस.सी. कोड नं.....
- जो अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय दर्ज किया गया है।

**मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें**

1. चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटो युक्त प्रति अथवा प्रवेश पत्र।
2. आयु प्रमाण के लिये सकेण्डरी, हॉयर सेकेण्डरी, 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र/अंक सूची की मूल प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।
3. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं के अंतिम प्रोफ (Prof.) की अंक सूची । भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. अनिवार्य इन्टर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति अथवा वर्ष 2023 में इन्टर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
5. मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल/ मध्य प्रदेश डेंटल काउंसिल में जीवित पंजीयन के प्रमाण पत्र अथवा पंजीयन हेतु आवेदन की पावती।
6. अभ्यर्थी की फोटो आई0डी0 प्रूफ ड्राईविंग लाईसेंस/आधार/वोटर कार्ड/ पेन कार्ड/ पासपोर्ट की फोटो कॉपी।

7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये जारी किया गया प्रमाण पत्र।
8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र
10. वर्तमान वर्ष का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र ( अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों के क्रीमी/नॉनक्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो)।
11. दिव्यांग प्रवर्ग हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं केन्द्र सरकार के विनिर्दिष्ट दिव्यांगता केन्द्र से जारी किया गया दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ।
12. अनिवासी भारतीय कोटे से सीट आवंटित होने की दशा में प्रोफार्मा 3,4,5 के अनुसार दिया जाने वाला शपथपत्र ।
13. सीट लिविंग बॉण्ड प्रोफार्मा-2।
14. ग्रामीण सेवा बंध पत्र प्रोफार्मा-2 ।
15. मध्य प्रदेश के अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र) का लाभ प्राप्त नहीं करने संबंधी शपथ पत्र एवं किसी अन्य राज्य से मूल निवासी का लाभ नहीं लिये जाने संबंधी शपथपत्र प्रोफार्मा-6।
16. स्टार्डिपेंड एवं अनुशासन संबंधी वचन पत्र प्रोफार्मा-7 ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता

**प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा  
भाग-ब (स्कूटनी (छानबीन) समिति द्वारा भरा जाए)**

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूटनी के समय उपस्थित अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर का एन.बी.ई. नई दिल्ली द्वारा प्रेषित **NEET** में सम्मिलित परीक्षार्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर डाटा से मिलान करने के बाद सही पाया गया है अथवा भिन्नता पाई गई है ।

भिन्नता की स्थिति में टिप्पणी –.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की जांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं, एवं जमा किये गये मूल दस्तावेजों का अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभ्यर्थी को प्रदान किया गया ।

सत्यापन के पश्चात्, अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये पात्र है

**अथवा**

निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण/या अन्य कारणों से आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये अपात्र हैं :-

- 1.....
- 2.....
- 3.....

स्कूटनी/प्रवेश समिति के अध्यक्ष  
के हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम,  
पदनाम

स्कूटनी समिति के सदस्य के  
हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम, पदनाम

स्कूटनी समिति के सदस्य के  
हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम,  
पदनाम

**प्रारूप-2 (संशोधित)**

(अनुसूची-3-11 (i) (ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु)

**(चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम****में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)****बंध-पत्र****सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)**

- 1- मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....  
निवासी ..... मध्यप्रदेश के चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में  
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र..... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।
- 2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018,  
संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022 तथा संशोधन नियम 10  
मई 2023 को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।
- 3- मैंने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद (अनिवार्य चिकित्सा सेवा) पंजीयन नियम 2022 भली भौंती  
पढकर समझ लिया है ।
- 4- मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूं कि :-

**i) सीट लिविंग बॉण्ड-**

- अ मैं चिकित्सा (MD/MS)/ दंत चिकित्सा (MDS) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त  
करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।
- ब यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं  
पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा  
निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित **शासकीय चिकित्सा/शासकीय** दंत चिकित्सा  
महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बांड राशि एमडी/एमएस/एमडीएस पाठ्यक्रम  
के लिये **रु0 30,00,000/-** (रु0 तीस लाख ) भुगतान करने का वचन देता हूँ /देती हूँ ।  
निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में **प्रवेश की स्थिति में त्याग पत्र दिये  
जाने/निष्कासन पर** पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि/ शेष अवधि का शैक्षणिक शुल्क का भुगतान  
शासन को **करने का वचन देता/देती हूँ।**
- स यह कि सीट लीविंग बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा  
कराये गये मूल दस्तावेज वापिस नहीं किये जायेंगे ।

**ii) ग्रामीण सेवा बॉण्ड—**

- अ— मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।
- ब— गैर सेवारत अभ्यर्थी — ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री हेतु एक वर्ष होगी एवं बॉण्ड के अन्तर्गत सेवा न करने की स्थिति में रू0 10 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।
- स— शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संबंधित संस्था के अधिष्ठाता के नाम पर निष्पादित करना होगा। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के नाम पर निष्पादित करना होगा।
- द— सेवारत अभ्यर्थी— ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु कमशः पांच वर्ष की होगी। बॉण्ड के अन्तर्गत सेवा न करने की स्थिति में रू0 50 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।
- ध— चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत सेवारत अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी होगी। बॉण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष की सेवा न करने पर बॉण्ड राशि रूपये 50 लाख जमा करने होंगे।
- च— यह कि ग्रामीण सेवा बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....

**PROFORMA-3 (प्रारूप-3)**

[As per Schedule 3 item 11(iv) (v) ]

**NOTARIZED AFFIDAVIT BY NRI CANDIDATE**

(to be executed on rupees 1,000/- non judicial stamp paper)

(For admission in the NRI quota seats in Private Medical and Dental Colleges of MP State)

- 1) I, (Name of candidate) \_\_\_\_\_ Son of Shri/Smt. \_\_\_\_\_ aged \_\_\_\_\_ years, who is seeking admission in \_\_\_\_\_ course through NEET \_\_\_\_\_, NEET Testing ID \_\_\_\_\_ under NRI quota seats in \_\_\_\_\_ private college, holding \_\_\_\_\_ passport and residing at \_\_\_\_\_, mobile number \_\_\_\_\_ email id \_\_\_\_\_, am an NRI.

**Proof of being NRI:- (any one)**

- i) OCI Card/NRI
- ii) NRI Status certificate issued by embassy/consulate general in the admission year
- iii) Copy of NRI passport

**OR**

- 2) I am being sponsored by \_\_\_\_\_ Son of /Daughter of \_\_\_\_\_ who is an NRI and is my \_\_\_\_\_ by relation as indicated below :-

S.no	Relationship with candidates	Tick Mark
1	Parents	<input type="checkbox"/>
2	Grandparents, (paternal/maternal )	<input type="checkbox"/>
3	Real Uncle / Aunt (paternal/maternal )	<input type="checkbox"/>
4	Real Brother/ Sister	<input type="checkbox"/>

**OR**

- 3) I am taken as a ward by \_\_\_\_\_ S/o,/ D/o, \_\_\_\_\_ who is an NRI and i am related to him in the following manner..... (describe the relationship).

Sponsor will bear the entire fee to be paid for my education for the entire tenure of the programme.

Date  
Place

Signature of Candidate  
Name \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

Note :-

1. choose any one of the three alternatives applicable.

PROFORMA-4 (प्रारूप-4)

[As per Schedule 3 item 11(iv) (v) ]

NOTARIZED AFFIDAVIT BY GUARDIAN / SPONSOR  
(to be executed on rupees 1,000/- non judicial stamp paper)

(For admission in the NRI quota seats in Private Medical and Dental Colleges of MP State)

- 1) I, (Name of guardian/ Sponsor) \_\_\_\_\_ hereby, declare that Mr/ Ms -----  
------(Name of candidate) Son of Shri/Smt \_\_\_\_\_ aged  
\_\_\_\_\_ years, who is seeking admission in \_\_\_\_\_ course  
through NEET \_\_\_\_\_, NEET Testing ID \_\_\_\_\_ under NRI quota seats in  
\_\_\_\_\_ private college, holding  
\_\_\_\_\_ passport and residing at  
\_\_\_\_\_, mobile number \_\_\_\_\_ email id \_\_\_\_\_, is  
an NRI.

**Proof of being NRI:- (any one)**

- i) OCI Card/NRI
- ii) NRI Status certificate issued by embassy/consulate general in the admission year
- iii) Copy of NRI passport

**OR**

- 2) He is being sponsored by \_\_\_\_\_ Son of /Daughter of \_\_\_\_\_ who is an NRI and is related to the candidate by relation as indicated below :-

S.no	Relationship with candidates	Tick Mark
1	Parents	<input type="checkbox"/>
2	Grandparents, (paternal/maternal )	<input type="checkbox"/>
3	Real Uncle / Aunt (paternal/maternal )	<input type="checkbox"/>
4	Real Brother/ Sister	<input type="checkbox"/>

**OR**

- 3) He is taken as a ward by \_\_\_\_\_ S/o,/ D/o, \_\_\_\_\_ who is an NRI and related to him in the following manner..... (describe the relationship).

Sponsor will bear the entire fee to be paid for my education for the entire tenure of the programme.

Date

Place

Signature of Legal Guardian/ Sponsor

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Note :- **Choose any one of the three alternatives applicable..**



PROFORMA-5 (प्रारूप-5)

[As per Schedule 3 item 11 (v) ]

**NRI/OCI SPONSORSHIP CERTIFICATE**

(Applicable for candidates sponsored by NRI/OCI)

The candidate is required to submit the following NRI/OCI sponsorship certificate from the sponsorer duly notarized in the country of residence of NRI/OCI at the time of admission.

I, .....Son/Daughter of Mr./Mrs. .... aged about .....years, do hereby declare that I am a Non-Resident Indian (NRI)/ an Overseas Citizen of India (OCI) and I am herewith enclosing photocopy of my valid passport/ OCI card duly counter signed by the Indian embassy/ high commission.

That my present address is:.....  
.....  
.....  
.....PhoneNo.:.....  
Country:.....Email:.....  
.....

That I have taken Mr. /Ms.....  
Daughter/Son of.....  
Address.....  
as my ward, who is taking admission in.....course through NEET.....(Year).....NEET testing ID.....under NRI Quota..... and that I wish to sponsor him/her as a candidate in the NRI category for admission in the private medical college in Madhya Pradesh.

That I undertake to bear the entire fee of Mr./Ms.....to study in the UG/PG Programme till he/she successfully completes the program. That the candidate Mr/Ms. .... is related to me as..... (describe relationship).

I am holding Passport No.....of country ..... date of issue.....Declared on this ..... day of .....2023.

Signature of the Sponsor .....  
Name.....  
Email:- .....  
Place ..... of  
Residence.....  
.....

**Verification by notary**

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and be verified at\_\_\_\_\_ (place) on this the \_\_\_\_\_(day) of \_\_\_\_\_(month), \_\_\_\_\_(year).

Name \_\_\_\_\_  
Solemnly affirmed and signed in my presence on this\_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_  
Place :  
Date :  
Notary public

(प्रारूप-6)

नोटराइज्ड शपथ-पत्र

( रूपये 100 के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित )

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी / मूल निवासी अभ्यर्थी के द्वारा दिया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री.....निवासी  
.....मध्यप्रदेश के चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय में  
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र ..... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।

मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018, संशोधन 19 जून 2019, संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022 तथा 10 मई 2023 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।

मैं शपथ पूर्वक यह कथन करता / करती हूं कि मैंने अन्य राज्य से स्थानीय निवासी / मूल निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, एवं मैंने अन्य किसी राज्य से स्थानीय निवासी/मूल निवासी होने का लाभ प्राप्त नहीं किया है। मैंने यह भली भांति समझ लिया है कि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

नाम- .....

पता- .....

दिनांक- .....

**//वचन पत्र//**

(स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय रू. 100/के नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

मैं,.....पुत्र/पुत्री.....

.नीट यू0जी0/पी0जी0 वर्ष.....रोल नंबर.....शपथपूर्वक

कथन करता/करती हूँ कि :-

1. मेरे द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधनों का भली-भाँती अध्ययन कर समझ लिया गया है।
2. मुझे शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के शुल्क एवं मासिक स्टायपेंड (यदि लागू हो) का संज्ञान है, एवं मैं उक्त निर्धारित शुल्क एवं मासिक स्टायपेंड से सहमत हूँ।
3. मैं सदैव IMC Regulation 2002 (professional, etiquette and ethics) का पालन करूंगा/करूंगी एवं पाठ्यक्रम की अवधि में किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता, रेगिंग एवं अन्य अनुशासनहीनता से संबंधित गतिविधियों में संलिप्तता नहीं होगी। मैं किसी भी स्थिति में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं रहूंगा/रहूंगी एवं किसी भी हड़ताल (Strike) में शामिल नहीं होऊंगा/होऊंगी। संलिप्तता पाये जाने पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 17 (3) के अन्तर्गत मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
4. मैं शासन के विधि द्वारा स्थापित समस्त अधिनियम तथा समय-समय पर जारी समस्त कार्यपालिक निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी।

वचनग्रहीता

मेरे द्वारा वचनपत्र में दी गई समस्त जानकारी सही एवं सत्य है जिसका सत्यापन आज दिनांक ..... को स्थान ..... में मेरे द्वारा सत्यापन किया गया।

वचनग्रहीता

(1) गवाह :-

नाम.....

पता.....

मोबाईल नंबर.....

(2) गवाह :-

नाम.....

पता.....

मोबाईल नंबर.....

(3) पिता/अभिभावक का नाम - .....

पता .....

मो.नं.....

ईमेल.....